न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का मंगलाना

बनाम

अप्रार्थी :– श्री मंजु देवी पत्नी जैसाराम जाट निवासी कलकला की ढाणी

अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 2/17

निर्णय दिनांक 17/1/2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पीपलाद ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2073 में सरहद ~~पीपलाद~~ मंगलाना के ख.न. 716 रकबा 0.004 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता भूमि पर बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी के पत्ति से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी दिनांक 17.01.2017 को उपस्थित हुई लेकिन कोई जबाब प्रस्तुत नही किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार सरहद मंगलाना के ख.न. 716 रकबा 0.004 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है। प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदख़ल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति हैक्टेयर से 0.004 हैक्टेयर के रूपये 0.02 लगान का 50 गुणा 10/– दस रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। एंव तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल क़र पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल द तर हो।

17

[illegible] ....के पृष्ठ सं..........

[illegible] ....रु० की

[illegible] दर्ज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

(signature)

तहसीलदार परबतसर